Volume-2, No. II, Aug-2015, pp. 74-78

वर्तमान समय में गाँधी जी के विचारों का शैक्षिक चिन्तन

डा. पुनम अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग,
डी. एस. कालिज अलीगढ उत्तर प्रदेश, भारत।

सार

भारत में तथा पूरे विश्व में शान्ति का प्रसार ला सकते हैं। वर्तमान समय में जबकि चारों ओर अराजकता व हिंसा का माहौल है, हमें एक ऐसे समाज को विकसित करना होगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अथवा मानसिक प्रताड़ना न दे सके। इसके लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में शुद्धि लानी होगी और यह कार्य केवल शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। शिक्षा एक ऐसा अचूक मन्त्र है, जो प्रत्येक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकता है। गांधीजी ने आदर्श राज्य 'रामराज्य' की परिकल्पना की थी। ऐसा राज्य वस्तुतः मानवतावादी शासन–व्यवस्था पर आधारित होगा, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति इतना संयमशील एवं आत्मानुशासित होगा कि राज्य को कानून की आवश्यकता ही न रह जायेगी। उनकी मान्यता थी कि वह राज्य सर्वश्रेष्ठ है जो कम–से–कम राज (शासन) करे। ''गाँधीजी के सत्य एवं अहिंसा के विचार सर्वविदत हैं, परन्तु हमने यह जानने को प्रयास किया कि इन विचारों का शिक्षा में क्या महत्व है? महात्मा गाँधी ने शिक्षा पर कोई ग्रन्थ नहीं लिखा जिससे उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों को क्रमानुसार समझा जा सकता। उन्होंने समय–समय पर अपने विचार सभाओं में तथा 'हरिजन'
पत्रिका के अनेक लेखों में व्यक्त किए। उनके अनुसार, शिक्षा के मूल्यों को अनुभव में ही खोजना चाहिए। शिक्षा की कोई भी योजना बनें, किन्तु शिक्षा के द्वारा बालक में व्यवहार कुशलता का आना आवश्यक है। व्यवहार के कौशल प्राप्त करने के लिए बालक को हस्तकार्य, निरीक्षण, अनुभव, प्रयोग, सेवा तथा प्रेम का आश्रय लेना होगा।

मुख्य शब्द– विश्वशान्ति, अहिंसा, सामाजिक परिवर्तन, आदर्श राज्य, आदर्श समाज, स्ववालम्बी पाठशाला, बेसिक शिक्षा, कुटीर उद्योग

गाँधीजी का जीवन परिचय–

मोहनदास करमचन्द गाँधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबन्दर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन् 1869 को हुआ। इनके पिता पोरबन्दर के दीवान थे। वे कुटुम्ब प्रेमी और सत्यप्रिय थे। माता साध्वी, श्रद्धालु एवं धर्मभीरू थीं। हाईस्कूल के पहले ही वर्ष में शिक्षा–विभाग के इन्स्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आये। उन्होंने पहली कक्षा के लड़कों को पाँच शब्द लिखाये। उनमें से एक शब्द के हिस्से गाँधीजी ने गलत लिखे। शिक्षक ने उन्हें अपने बूट की नोंक मारकर चेताया, पर गाँधीजी ने शिक्षक की बात नहीं मानी। शिक्षक ने बाद में गाँधीजी को बताया कि वो उन्हें उनकी गलती सुधारने को बोल रहे थे। परन्तु गाँधीजी कॉपी में से चोरी करना कभी नहीं सीख सके। गाँधीजी के ऊपर 'श्रवण कुमार' व 'हरिश्चन्द्र नाटक का बड़ा प्रभाव हुआ। उनके मन में हरिश्चन्द्र की तरह सत्यवादी होने की धुन सवार हो गई। 13 वर्ष की उम्र में पोरबन्दर में गाँधीजी का विवाह कस्तूरबा बाई के साथ हुआ। ब्याह के बाद उनकी पढ़ाई जारी रही। दक्षिण अफ्रीका में गाँधीजी ने टॉलस्टॉय–आश्रम की स्थापना की और शिक्षा पर प्रयोग किये। सन् 1914 ई0 में वे इंग्लैण्ड होते हुए भारत लौटें और भारत में आकर यहाँ की राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय राजनीति को अहिंसा और सत्य की नीव पर खड़ा करने का प्रयास किया। 30 जनवरी सन् 1948 को नाथूराम गोडसे ने गाँधीजी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। गाँधीजी की गाँधी अहिंसा विचार धारा–महात्मा गांधी के अनुसार ''अहिंसा से तात्पर्य है विश्व के किसी भी प्राणी को विचार, शब्द या कार्य से क्षति न पहुँचाना। उनके अनुसार अहिंसा मानव जाति का विधान या नियम है। ''हिंसा न करना अर्थात् किसी को शारीरिक एवं मानसिक चोट न पहुँचाना अहिंसा का अभावात्मक अर्थ है। इसका भावात्मक अर्थ चेतनशील वेदना है। अहिंसा के विषय में उनका कथन है– ''अहिंसा बिना सत्य की खोज असम्भव है। अहिंसा स्थूल वस्तु नहीं है, जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। किसी को न मारना इतना तो है ही, कुविचार मात्र हिंसा है, संसार के लिए जो आवश्यक वस्तु है, उस पर अधिकार रखना भी हिंसा है। अहिंसा पालने वाले को सार्वभौम प्रेम पैदा करने की पहली सीढ़ी के रूप में मनुष्यों के क्रोध को सहन कर उन्हें जीतने का प्रयत्न करना है। एक लेख में गाँधीजी लिखते हैं–

''मैं अत्याचारी तलवार की धार को पूरी तरह कुंठित करना चाहता हूँ, इसके विरोध में एक अधिक तेज शस्त्र को रखकर नहीं, किन्तु उसकी इस आशा को कि मै उसका शारीरिक प्रतिरोध करूँगा, निराशा में बदलकर।'' (यंग इंडिया, 8 अक्टूबर सन् 1952) अहिंसा का पहला

काम विरोधी की शक्ति की परीक्षा करना है। गाँधी जी पूछते हैं, निस्सहाय की अहिंसा का क्या उपयोग है? उन्होंने सन् 1920 में लिखा था, क्षमाशीलता भीरू का नहीं योद्धा का आभूषण है, यदि भीरूता और हिंसा में एक का चुनाव करना हो तो मै हिंसा को स्वीकार करूँगा। ('हिन्द स्वराज' 11 अगस्त सन् 1920) नेहरू जी के शब्दों में "गांधीजी की अहिंसा यथा स्थितिवादियों के लिये नहीं है वरन् कार्य करने और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक गत्यात्मक विधि है।'' गाँधीजी अहिंसा को आत्म शक्ति सम्पन्न, वीरता हेतु हथियार मानते थे। गांधीजी ने अहिंसा शब्द के शाब्दिक अर्थ को पूर्णतः प्रयुक्त न करते हुए, उसे मात्र सैद्धान्तिक शान्ति के शाश्वत यात्रा के रूप में प्रयोग किया। उनका मानना था ''यदि व्यक्ति किसी पीड़ा में है और उस पीड़ा से मुक्त करने हेतु मौत ही उपचार है तो उसे मौत देना भी अहिंसा है।'' गाँधीजी आक्रमण का विरोध आवश्यक मानते थे। वहाँ वे शान्त रहना कायरता का पर्याय समझते थे। गाँधीजी की अहिंसा सारगर्भिता सत्य सिद्धान्त है जिसमें मानव के अस्तित्व के प्रति सम्पूर्ण प्रेम तथा धर्म के प्रति अद्वितीय निष्ठा के साथ ईष्वर के प्रति समर्पण है। उनके शब्दों में– ''अहिंसा की स्थिर प्रकल्पना सत्य से अपरिवर्तन रूप से जुड़ी है। इसी कारण मैं अहिंसा से प्रभावित हूँ। सत्य से मेरा सम्बन्ध स्वतः स्थापित हो जाता है। अहिंसा को मैनें संघर्ष के उपरान्त प्राप्त किया है।''

गाँधीजी और विश्वशान्ति

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने विष्व शांति के लिए जिस 'पंचशील' सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, वह गांधीवादी चिन्तन का ही पूर्ण रूप है, गांधीजी द्वारा प्रतिपादित सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर मार्टिन लूथर किंग, नीग्रो समाज को अपने मौलिक अधिकार दिलाने में सफल हुई। गाँधीजी हमारे देश में शान्ति के दूत बनकर उभरे जबकि चारों और आन्दोलनों का दौर था चारों तरफ हिंसा ही हिंसा थी। विदेशी शासन से भारत की जनता अत्यन्त कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रही थी। तब जरूरत थी एक ऐसे शस्त्र की जो कि शान्तिपूर्वक असर करे और भारत को आजादी मिले परन्तु हिंसा न बढ़े। ऐसे में गाँधीजी ने अहिंसा व असहयोग का ऐसा अस्त्र दिया जिसने विदेशी शासन को झकझोर कर रख दिया। गाँधीवाद में अहिंसा साधन व साध्य दोनों ही है। अर्थात् शान्ति लाने के लिए शान्ति का मार्ग अपनाना। अहिंसा के मार्ग में पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन अपेक्षित है। साध्य की प्राप्ति, साधनों की उपयुक्तता को सिद्ध नहीं करती है। एक बार गांधीजी ने कह दिया था कि ''हिंसा द्वारा प्राप्त स्वराज्य मुझे ग्राह नहीं होगा। 1920 में लोकमान्य तिलक के महाप्रयाण के बाद जब उन्होंने देश का नेतृत्व सँभाला तो अहिंसा को ही स्वतंत्रता आन्दोलन का स्वरूप जब भी हिंसात्मक हुआ उन्होंने उस आन्दोलन को ही स्थगित कर दिया। गांधीजी लोगों से कहा करते थे, ''आप यह कह सकते हैं कि अहिंसक क्रांति हो ही नहीं सकती', ज्ञात इतिहास में ऐसा हुआ भी नहीं है। मेरी अभिलाषा है कि मै एक दृष्टान्त प्रस्तुत करूँ और मेरे स्वप्न को साकार करे। मैं हिंसा की बलि देकर अपने देष की स्वतंत्रता का क्रय नहीं करूँगा।'' दुनिया ने देखा कि गांधीजी का स्वप्न पूरा हुआ और इतिहास में एक मिसाल कायम हुई। ''शोषण समाप्त करने के लिए गाँधीजी अस्तेय एवं ट्रस्टीशिप के सिद्धान्तों की आवश्यकता पर बल देते थे। गाँधीजी ने आदर्श समाज के निर्माण के लिए विकेन्द्रीकरण की नीति का प्रतिपादन किया। शासन के क्षेत्र में कुटीर उद्योग उन्हें मान्य थे। चरखा उनकी विकेन्द्रीकृत आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक है। गाँधीजी एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था द्वारा देष में द्वन्द समाप्त कर शान्ति लाना चाहते थे। उसी कारण उन्होंने शिक्षा में क्राफ्ट शिक्षा को लाने की बात कही थी। हमारा भी मानना है कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होगा और अपने–अपने कार्यों में व्यस्त होगा तो उसके पास व्यर्थ सोच के लिए समय ही नहीं रहेगा और मन को शान्ति प्राप्त होगी जिससे विश्व में शान्ति आयेगी। गाँधीजी का सर्वोदय सिद्धान्त गाँधी सर्वोद्दय तथा आदर्श समाजवाद– गाँधीजी के शब्दों में–''मै यह विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि एक व्यक्ति सुख–सुविधा प्राप्त कर ले तथा उसके आस–पास के व्यक्ति परेशान रहें। मैं व्यक्ति तथा अन्य जीवधारियों की अनिवार्य एकता में विश्वास रखता हूँ।'' इस तरह उनका मानवतावादी सर्वोदय विचार मानव के दिव्य स्वरूप और संपूर्ण विकास पर आधारित है। गाँधीजी का समाजवाद उच्च आदर्शो की कसौटी है। वे समाज वाद के प्रबल समर्थक थे, परन्तु वे पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित न होकर समाज के आमूलचूल परिवर्तन की स्थापना के विचार को मानते थे। हालांकि गांधीजी मार्क्स की साम्यवादी नीतियों से भी वे पूर्ण रूपेण असहमत थे। गांधीजी के समस्त दर्शन, विचार एवं चिन्तन का क्षेत्र समाज तथा उद्देश्य उसका सुधार था। वह उन अर्थों एवं विचारों में समाजवादी नहीं थे जैसा कि कांग्रेस का एक वर्ग था, अपितु व्यक्ति ने नैतिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होंने कल्पना की एवं उस पर अपने विचार व्यक्त किये। उनका आदर्श एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो पारस्परिक सक्रिय प्रेम एवं आपसी सहयोग तथा सामंजस्य पर आधारित हो। वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित समाज व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी वे वर्णों के भेदभाव एवं ऊँच–नीच की भावना के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने समान वितरण के क्रांतिकारी सिद्धान्त का समर्थन किया, जिसका तात्पर्य था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री

मिलनी चाहिये। धनी लोगों को समाज का कल्याण करने के लिए अपने धन का न्यासधारी बन जाना चाहिये किन्तु वे स्वेच्छा एवं प्रेम से ऐसा न करें तो बलपूर्वक नही अपितु सत्याग्रह द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिये। गांधीजी का विश्वास था कि समाज की असमानता एवं असंतुलन को दूर करने का उपाय बड़े–बड़े उद्योगों की स्थापना करने में नहीं है। इसके लिए ग्रामीण पुनर्संरचना एवं ग्रामोंन्मुखी कुटीर उद्योगों की स्थापना ही समुचित होगी, जो आपसी सहयोग पर आधारित हो। इससे न केवल समाज के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन एवं समानता विकसित होगी अपितु एक आदर्शवादी समाज की स्थापना भी हो सकेगी। इस प्रकार गांधीजी के विचारों से स्पष्ट होता है कि वह निश्चित रूप से भारत के सच्चे समाजवादी थे, एवं उनकी समाजवादी कल्पना भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनुकूल थी न कि बाह्य देश के विचारों पर अवलम्बित भारतीय व्यवस्था में थोपी गयी। गांधीजी अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारते हैं। गाँधीजी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व था और पुलिस, जेल, सेना तथा न्यायालय आदि शासन की बाध्यकारी संस्थाएँ भी शामिल थीं फिर भी इस दृष्टि से अहिंसक समाज है कि इसमें इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए नहीं वरन् उसकी सेवा करने के लिए होना था। गाँधीजी के आदर्श समाज में शासन का रूप पूर्णतया लोकतान्त्रिक होगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार प्राप्त होगा वरन् जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भी भाग लेगी। शासन सत्ता समिति होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। गाँधीजी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेन्द्रीकृत सत्ता है। विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने के लिए गाँधीजी का सुझाव था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से हो लेकिन ग्राम के ऊपर जो प्रशासनिक इकाइयाँ हों, जैसे–राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार आदि का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो जिससे सत्ता का समस्त केन्द्र ग्राम पंचायते ही बनी रहें। इस आदर्श राज्य में आर्थिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया गया है। उनके अनुसार विशाल तथा केन्द्रीयकृत उद्योग लगभग समाप्त कर दिये जायेंगे और उनके स्थान पर कुटीर उद्योग चलाए जायेंगे। गांधीजी का आदर्श समाज स्वतन्त्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और समुदायों के निर्माण की स्वतन्त्रता होगी। गाँधीजी का आदर्श–समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित है जिसमें वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र चार वर्गों में विभाजित होगा तथा किसी प्रकार की समाज में ऊँच नीच की भावना नहीं होगी। गाँधीजी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे और उनके आदर्श समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं था। गाँधीजी का आर्दश राज्य धर्म निरपेक्ष होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे और सभी के अनुयायियों को समान सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

गाँधीजी भारत जैसे राज्य में धार्मिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत अधिक आवश्यक मानते थे इसलिए उनके द्वारा अपने आदर्श समाज में गौ हत्या का निषेध किया गया है। उनके आदर्श समाज में न तो मादक पदार्थों का उत्पादन होगा न ब्रिकी क्योंकि मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति का चारित्रिक पतन होता है। आदर्श समाज में गाँव–गाँव में बुनियादी तालीम देने के लिए स्वावलम्बी पाठशालाएँ होंगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जायेगी। महात्मा गाँधी का शिक्षा दर्शन महात्मा गाँधी एक प्रमुख राजनीतिज्ञ, दार्शनिक एवं समाज सुधारक होने के साथ–साथ एक महान् शिक्षाशास्त्री भी थे। महात्मा गाँधी ने शिक्षा पर कोई ग्रन्थ नहीं लिखा जिससे उनके शिक्षा–सम्बन्धी विचारों को क्रमानुसार समझा जा सकता। उन्होंने समय समय पर अपने विचार सभाओं में तथा हरिजन के अनेक लेखों में व्यक्त किए। उनके अनुसार, शिक्षा के मूल्यों को अनुभव में ही खोजना चाहिए। शिक्षा की कोई भी योजना बने, किन्तु शिक्षा के द्वारा बालक में व्यवहार के कौशल प्राप्त करने के लिये बालक को हस्तकार्य, निरीक्षण, अनुभव, प्रयोग, सेवा तथा प्रेम इस सम्बन्ध में डॉ.एम.एस. पटेल के विचार द्रष्टव्य हैं–

''गाँधीजी ने उन महान शिक्षकों और उपदेशकों के गौरवपूर्ण व्यक्तियों में स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को नवज्योति दी है।'' ग्रीन का कथन था कि "पेस्टालॉजी आधुनिक शिक्षा सिद्धान्त और व्यवहार का प्रारम्भिक बिन्दु था, जहाँ तक पाश्चात्य शिक्षा का सम्बन्ध है यह बात सत्य हो सकती है। गाँधीजी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन सिद्ध करता है कि वे पूर्व में शिक्षा सिद्धान्त और व्यवहार के प्रारम्भिक बिन्दु हैं।''

महात्मा गाँधीजी का शैक्षिक दृष्टिकोण

1. शिक्षा को मानव व्यक्तित्व, शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्य पूर्ण विकास करना चाहिए।
2. शिक्षा को बालक की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
3. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिये।
4. शिक्षा बालक एवं बालिकाओं में निहित सभी मानवीय गुणों के विकासार्थ होनी चाहिए।
5. 7–14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए।

6. बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी के शिक्षण से प्रारम्भ होनी चाहिए और जिस समय से उसका प्रशिक्षण प्रारम्भ हो, उसी समय से उसे उत्पादन करने के योग्य बनाना चाहिए।

गाँधीजी कहते थे साक्षरता न तो शिक्षा का आदि है और न अन्त वह केवल एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है।

शिक्षा के उद्देश्य

गाँधीजी के विचार से मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति को उन्होंने बड़े व्यापक अर्थ में लिखा है। वे पहले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति की बात करते थे और फिर आध्यात्मिक मुक्ति की। उनका तर्क था कि जब तक मनुष्य को शारीरिक दुर्बलता, मानसिक तनाव, आर्थिक अभाव और राजनैतिक दासता से मुक्ति नहीं मिलती तब तक वह आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। कस्तूरबा बालिकाश्रम नई दिल्ली में 22 अप्रैल सन् 1946 को व्याख्यान देते हुए गाँधीजी ने कहा था ''मैं शिक्षा के साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि गाँधीजी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों को सर्वोपरि मानते थे–

1. सांस्कृतिक उद्देश्य
2. चरित्र विकास
3. सर्वांगीण विकास
4. आध्यात्मिक स्वतन्त्रता
5. ईश्वर का ज्ञान एवं आत्मानुभूति
6. वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य
7. जीविकोपार्जन का उद्देश्य

बेसिक शिक्षा

विदेशी शासन काल में जो शिक्षा प्रणाली भारतीयों के ऊपर थोपी गई वह सर्वांगीण नहीं थी। इस प्रणाली से देश व समाज का कल्याण नहीं हो रहा था। इस शिक्षा का उद्देश्य सरकारी मशीन को चलाने के लिए बाबू बनाने का था। महात्मा गाँधी की पैनी दृष्टि इस तथ्य को ताड़ गई थी। महात्मा जी ने सोचा यदि राजनैतिक स्वराज्य मिल भी जाये तो भी सामाजिक एवं आर्थिक स्वराज्य देश में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाया जाता। अतः उन्होंने बेसिक शिक्षा का दर्शन देश के समक्ष रखा। बेसिक शिक्षा को गाँधीजी देश के लिए अपनी एक प्रमुख भेंट मानते थे।

बेसिक शिक्षा का जन्म

वर्तमान शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए गाँधीजी ने शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया। गाँधीजी के शिक्षा–सम्बन्धी विचार कोरी कल्पना के परिणाम नहीं है। गाँधीजी के विचार वस्तुतः उनके शिक्षा –सम्बन्धी प्रयोगों पर आधारित हैं। गाँधीजी जब अफ्रीका में थे तब सत्याग्रह आन्दोलन चलाने के लिए उन्होंने जोहान्सबर्ग से कुछ मील दूर पर एक फार्म किराए पर ले लिया था। इस टाल्स्टाय फार्म में सत्याग्रही सपरिवार रहते थे। इनमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी आदि विभिन्न सम्प्रदायों के लोग थे। इन सत्याग्रहियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला गया। गाँधीजी ने ही इन बच्चों को शिक्षा देना प्रारम्भ किया। यहाँ पर बच्चों को कुछ हाथ का काम करना पड़ता और केवल तीन घण्टे पढ़ाई–लिखाई में दिए जाते थे। शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जाती थी। पुस्तकों का सहारा बहुत कम लिया जाता था। गाँधीजी का यह कार्यक्रम सन् 1911 ई0 से सन् 1914 ई0 तक चलता रहा। भारत आने पर गाँधीजी ने अपने शिक्षण के प्रयोग को बन्द नहीं किया। सन् 1915 ई0 में साबरमती आश्रम में उन्होंने इस प्रयोग को जारी रखा। इस प्रकार हम देख रहे है कि गाँधीजी के शिक्षा–सम्बन्धी विचार उनके अनुभवों पर आधारित है। गाँधीजी ने सन् 1936 ई0 से 'हरिजन' पत्रिका द्वारा अपने विचार का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। सन् 1937 ई0 में नवीन शिक्षा पर विचार करने के लिए वर्धा में शिक्षाशास्त्रियों का एक 'अखिल भारतीय सम्मेलन' आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के सभापति गाँधीजी थे। गाँधीजी ने शिक्षा–सम्बन्धी अपने विचार इस सम्मेलन में व्यक्त किये। सम्मेलन ने इस विषय पर पर्याप्त विचार–विमर्श किया और कुछ प्रस्ताव पारित किये। यही प्रस्ताव बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त है। संक्षेप में बेसिक शिक्षा के मुख्य नियम हम निम्नलिखित कह सकते है–

1. सात वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा।
3. उद्योग–केन्द्रित शिक्षा और
4. स्वावलम्बन

इन्हीं आधारभूत नियमों पर भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा की बुनियाद खड़ी हुई है। इस शिक्षा को गाँधीजी 'नई तालीम' या 'बुनियादी शिक्षा' कहते थे। इस शिक्षा को और भी कई नामों से पुकाराजाता है; जैसे वर्धा योजना, आधारभूत शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, मौलिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन आदि कुछ नाम भी रख लें, उद्देश्य एक ही है।

निष्कर्ष :

वर्तमान समय में भी गाँधीजी की शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा अत्यन्त प्रासंगिक है। इसका प्रमुख कारण यह है कि बुनियादी शिक्षा का स्वरूप छात्र–केन्द्रित है जो आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना को जन्म न देकर अपितु आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। व्यावसायिक शिक्षा न केवल आत्मनिर्भर बनाने में युवा वर्ग को सहयोग करेगी, अपितु वर्तमान समय में व्याप्त भीषण बेरोजगारी जैसी समस्या का निराकरण भी इसके माध्यम से हो जायेगा। उच्च नैतिक भावानापरक शिक्षा से न केवल समाज में गला काट प्रतियोगिता का ही अन्त

होगा अपितु विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक बुराइयाँ तथा भ्रष्टाचार, अपराधीकरण नशाखोरी आदि का भी शनैः–शनैः उन्मूलन हो जायेगा। गाँधीजी की शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा (वर्धा शिक्षा योजना) बहुआयामी स्वरूप लिए हुए है।उन्होंने जिस सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टि से उच्चकोटि के समाज की कल्पना की थी, उसका विकास शिक्षा की एक मौलिक अवधारणा पर ही हो सकता था, औपनिवेषिक विदेशी शिक्षा प्रणाली द्वारा नहीं। गाँधीजी के अनुसार शिक्षा आत्मसाक्षात्कार अथवा अपने को जानने का माध्यम है अगर यह दोषपूर्ण होगी या सिर्फ आर्थिक, स्वार्थों को समझने वाली होगी तो देश में आदर्श व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती।' यही उनके शिक्षा दर्शन की मूल धारणा है। गाँधीजी के अनुसार औपचारिक शिक्षा वास्तविक शिक्षा नहीं है अपितु वास्तविक शिक्षा वह है जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक बनाये। गाँधीजी द्वारा प्रस्तुत बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में मुख्य विशेषतायें थीं– 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, व्यवसाय परक आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा, पुरूषों एवं स्त्रियों को समान रूप से शिक्षा तथा कड़े अनुशासन का पालन जहाँ तक उच्च शिक्षा की बात है, वह देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो ऐसा गाँधीजी का विचार था।

गाँधीजी का यह स्पष्ट विचार था कि विद्यार्थियों को भारत जैसे एक विकासशील देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समझनी चाहिए एवं उसका निर्वाह करना चाहिए किन्तु साथ ही साथ वे उनको सक्रिय राजनीति में भाग लेने से रोकते हैं, क्योंकि वे अपनी अपरिपक्वता के कारण कुछ स्वार्थी, तत्वों के हाथों में प्रकरण मात्र बनकर रह जायेंगे। गाँधीजी का मानना था कि सभी संघर्षों व बुराइयों की जड़ नैतिकता का गिरना है। अनैतिकता व हिंसा को दूर करने के लिए उन्होंने अहिंसा व अनासक्त कर्म की बात कही। इस प्रकार हम गाँधीजी के विचारों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सद्भावना का संचार कर पूरे विश्व में शान्ति ला सकते हैं।

सन्दर्भ सूचि

1. रामशकल पाण्डेयः शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, 10जी संस्करण 2011।
2. रामशकल पाण्डेयः भारतीय शिक्षा–दर्शन
3. मुकर्जी और ओडः भारतीय शिक्षा
4. सरयूप्रसाद चौबेः भारतीय शिक्षा का इतिहास
5. सुबोध अदावालः भारतीय शिक्षा–सिद्धान्त
6. हुमायूँ कबीरः भारतीय शिक्षा–दर्शन